District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 83 of 2025

(Jamui Sc.St P.S. Case No.- 09/2025)

Date of Judgement : 13-05-2026

State of Bihar through informant Chandan Das Vs. Sagar Kumar & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक चंदन दास

बनाम

1. **सागर कुमार उर्फ सागर रावत,** उम्र 28 वर्ष, पिता–मनोज रावत,

2. **राज कुमार उर्फ रॉकी रावत,** उम्र 25 वर्ष, पिता–मनोज रावत,

दोनों निवासी ग्राम–सितुचक, थाना–झाझा, जिला–जमुई।

आरोप भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74, 351(2), 352, सभी सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री सुधीर कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–13.05.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक चंदन दास पिता स्व0 देवनारायण दास के द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस0सी0/एस0टी थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जमुई एस0सी0/एस0टी थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–09/2025 के रूप में भारतीय न्याय संहित की धारा–126(2), 115(2), 351, 352, 191(2), 191(3) सपठित धारा 3(5) एवं डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम धारा–3, 4, 5 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–20/2025, भा0द0वि 126(2), 115(2), 351(2), 352, 74, सभी सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचक चंदन दास पिता स्व0 देवनारायण दास द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना को दिये गये अंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2025 को समय 02:15 बजे वे लोग घर पर बैठे हुए

थे। तभी अचानक गाली–गलौज करते हुए सागर रावत एवं रॉकी रावत उसके घर आये। सागर रावत ने कहा कि ''मारो साले चमार को'' तभी रॉकी रावत हाथ में रड़ लिये जान मारने के नियत से उसके ललाट पर मार दिया, जिससे नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, इतने में उसकी पत्नी उसे बचाने आयी तभी रॉकी रावत बोला कि ''इसे भी मारो यह डायन है,'' इतने में सागर रावत ने उसकी पत्नी को मारपीट करते हुए मुँह में कालिख पोत दिया, सिर से बाल को काट दिया एवं ब्लाउज फाड़ दिया तथा जमीन पर पटक दिया जिससे उसकी पत्नी अर्द्धनग्न हो गयी। उसकी पत्नी हल्ला करने लगी, तभी गॉव के लोग इक्टठा हो गये, तभी सभी लोगों ने धमकी देते हुए कहने लगे कि ''तुम चमार थाना जाओगे, तब तुम्हें जान से मार देगें।'' वह डरे सहमे अपने भाई दिलीप रविदास के साथ थाना जा रहा था, तभी भॉवरा पुल के पास उसकी गाड़ी रोककर इन लोग उसके भाई दिलीप रविदास के साथ मारपीट किया एवं वापस घर भेज दिया। किसी तरह से चोरी छिपे अपने इलाज हेतु गिद्वौर अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2025 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74, 351, 352(2) सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 02 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. चंदन दास (सूचक), 2. ममता कुमारी है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 चंदन दास,** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा

(Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक 13.03.2025 की है। वह घर पर बैठा था तो अचानक सागर रावत एवं रौकी रावत आये और उसके साथ गाली–गलौज एवं धक्का मुक्की करने लगा। उसने लिखित आवेदन थाना में दिया। यह वही लिखित आवेदन है जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिसे उसके पहचान पर प्रदर्श P-1/P.W.1 अंकित किया गया। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी का कथन है कि उसने स्वेच्छा से गवाही दी है। न्यायालय में सुलह आवेदन दाखिल किया है जिस पर उसका हस्ताक्षर है। यह केस गलतफहमी में किया था। केस समाप्त होने से उसे कोई आपति नहीं है। अभियुक्तगण उसके पड़ोसी हैं।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 ममता कुमारी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना दिनांक–13.03.2025 की है। उस दिन वह घर पर थी। अचानक सागर रावत एवं रॉकी रावत आये और उसके पति के साथ गाली–गलौज करने लगे। अभियुक्तगण को पहचानती है। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी का कथन है कि नोटिस पर गवाही देने आयी है। उसके पति के साथ किसी ने गाली गलौज नहीं किया था। उसके साथ कोई घटना कारित नहीं किया गया था। अभियुक्तगण गॉव के हैं इसलिए पहचानती है।

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74, 351, 352(2) सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध ा करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

9. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 चंदन दास, जो इस केस की सूचक है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह केस गलतफहमी में किया था। केस समाप्त होने से उसे कोई आपति नहीं है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 ममता कुमारी ने भी अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके पति के साथ किसी ने गाली गलौज नहीं किया था और उसके साथ भी कोई घटना कारित नहीं किया गया था। इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान

अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74, 351, 352(2) सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध ा के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **सागर कुमार उर्फ सागर रावत एवं राज कुमार उर्फ रॉकी रावत** को उनके विरूद्ध लगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 74, 351, 352(2) सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(i)(w), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–13.05.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–13.05.2026